

# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठसीन अधिकारी - पीयूष समारिया

आई0ए0एस0



प्रार्थना पत्र संख्या 39/2010

1. भीखाराम पुत्र रामचन्द्र बलाई निवासी हडिया तहसील महवा जिला दौसा।

...प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी(सक्षम अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी महवा तहसील महवा जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना क्रियान्वयन इकाई इन्द्रा कॉलोनी, रोडवेज डिपो के सामने दौसा जिला दौसा।
3. गबरुद्दीन पुत्र मुंशी खॉ
4. फकरुद्दीन पुत्र मुंशी खॉ  
जाति मुसलमान निवासी ग्राम हडिया तहसील महवा जिला दौसा।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाने मुआवजा अन्तर्गत धारा 3 जी (5)  
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से
3. श्री सरफराज खॉन अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 3 व 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक: 02.12.2020

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि वाके ग्राम हडिया तहसील महवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 है0 के राजस्व रिकार्ड में खातेदार भीखाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा व लाला पुत्र गिराज जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा दर्ज है। प्रार्थी व लाला के पिता गिराज पुत्र भम्बोला जाति बलाई निवासी हडिया में आपसी बाहमी बटवारा हो गया जिसकी लिखावट स्टाम्प पर लिखी गई थी। उक्त बाहमी बटवारे में खसरा नम्बर 481 का साबिका खसरा नम्बर 204 का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी के हक हिस्से व बँट में आया था। उक्त भूमि खसरा नम्बर 481 में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तार हेतु 1920 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 3 व 4 के नाम मुआवजा देने का आदेश दिनांक 12.7.2010 को दे दिया और उक्त आदेश की पालना में अवाई कमांक 4161 दिनांक 6.9.2010 के जरिये 75,902/- रुपये अप्रार्थी सं0 3 व 4 को देने का आदेश दे दिया। उक्त अवाई राशि 75,902/- रुपये अप्रार्थी सं0 3 व 4 के बजाय प्रार्थी को दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम हडिया तहसील महवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 है0 के राजस्व रिकार्ड में खातेदार भीखाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा व लाला पुत्र गिराज जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा दर्ज

प्रार्थी व लाला के पिता गिराज पुत्र भम्बोला जाति बलाई निवासी हडिया में आपसी बाहमी बटवारा हो गया जिसकी लिखावट स्टाम्प पर लिखी गई थी। उक्त बाहमी बटवारे में खसरा नम्बर 481 का साबिका खसरा नम्बर 204 का सम्पूर्ण रकबा प्रार्थी के हक हिस्से व बट में आया था। प्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 है० में से किसी को कोई बेचान नहीं किया गया। उक्त सम्पूर्ण भूमि का मालिक व काबिज प्रार्थी है। उक्त 0.80 है० भूमि में से 0.06 है० भूमि प्रार्थी ने आबादी में कनवर्ट करा ली शेष 0.74 है० भूमि खातेदारी व कब्जे की भूमि है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 481 में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तार हेतु 1920 वर्गमीटर भूमि अवाप्त की गई थी। जिसका सम्पूर्ण भूमि का मुआवजा प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि के संबंध में जब अप्रार्थी सं० 1 ने मुआवजा हेतु आपत्तियाँ मांगी तो प्रार्थी ने दिनांक 12.11.2009 को व अन्य कई तारीखों को आपत्ति भी प्रस्तुत की। अप्रार्थी सं० 1 ने प्रार्थी की 12.11.2009 को प्रस्तुत आपत्ति को दिनांक 16.11.2009 को एनएच के नाम मार्क किया व प्रार्थी ने उक्त भूमि का मुआवजा दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थी ने उक्त भूमि का कभी भी किसी को विक्रय नहीं किया और ना ही प्रार्थी ने उक्त भूमि का मुआवजा देने हेतु किसी के भी पक्ष में कोई सहमति मौखिक या लिखित में पेश की है। प्रार्थी से अप्रार्थी सं० 1 के सम्बन्धित कर्मचारी ने यह कहकर कि तुम्हारी भूमि में से भूमि एकवायर हुई है तुम्हें मुआवजा दिलाया जायेगा यह कहकर और कुछ खाली स्टाम्प मंगवा लिये व उन खाली स्टाम्पों पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा लिये जिनका दुरुपयोग करके और धोखे से सहमति देना तैयार कराकर अप्रार्थी सं० 1 ने अप्रार्थी सं० 3 व 4 के नाम मुआवजा देने का आदेश दिनांक 12.7.2010 को दे दिया और उक्त आदेश की पालना में अवाई कमांक 4161 दिनांक 6.9.2010 के जरिये 75,902/- रुपये अप्रार्थी सं० 3 व 4 को देने का आदेश दे दिया। जो कतई गलत एवं कानून के खिलाफ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त अवाई राशि 75,902/- रुपये अप्रार्थी सं० 3 व 4 के बजाय प्रार्थी को दिलाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष निराधार होने व श्रीमान के क्षेत्राधिकार के बाहर के कारण काबिले खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवाई राशि का भुगतान स्वयं प्राप्त करना चाहता है जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि का दस्तावेजात व आपत्तियों के निस्तारण के बाद हितबद्ध व्यक्तियों के नाम अवाई आदेश पारित किया है। श्रीमान को मात्र अवाई राशि के निर्धारण के बारे में ही सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है न कि मुआवजा किसे प्रदान किया जावे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 481 वाके ग्राम हडिया में से अवाप्त की गई भूमि 1920 वर्गमीटर भूमि का 3ए एवं 3डी की अधिसूचना जिसमें कि अवाप्त की गई भूमि की किस्म बरानी दर्ज है का एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान को दरकिनार करते हुए क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अवाप्त भूमि का मनमर्जी से निराधार ही आवासीय व वाणिज्यिक आधार पर अवाई निर्धारण किया गया है जिसे निरस्त किया जाकर भूमि की किस्म से पुनः निर्धारण किया जाना आवश्यक है। 3डी अधिसूचना में उक्त वादग्रस्त आराजी के हितबद्ध/भूस्वामी /खातेदार प्रार्थी भीखाराम व अन्य दीगर पक्षकारान है। ऐसी स्थिति में



प्रार्थी एक मात्र उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे तथा प्रस्तुत प्रकरण में अवाप्त भूमि 8.88 वर्गमीटर का मुआवजा भूमि की किस्म बारानी दर के आधार पर निर्धारित किया जावे।

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महवा की बिन्दुवार जांच टिप्पणी दिनांक 23.08.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 481 में से 1920 वर्गमीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 में अवाप्त की गई है। इस खसरा नम्बर 481 वाके ग्राम हडिया में से अवाप्त भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड के अनुसार है। प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति के समय अपनी आपत्ति भूमि अवाप्ति अधिकारी को पेश की गई थी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चरण संख्या 1 में खसरा नम्बर 481 रकबा 0.80 है 0 राजस्व रिकार्ड में खातेदार भीखाराम पुत्र रामचन्द्र जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा व लाला पुत्र गिराज जाति बलाई निवासी हडिया तहसील महवा दर्ज होना व्यक्त किया गया है तथा चरण संख्या 2 में बाहमी बंटवारा हो जाना तथा प्रार्थी 481 के सम्पूर्ण रकबे का मालिक व काबिज प्रार्थी होना व्यक्त किया गया है। जबकि इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा भी कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये गये है तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी अवाप्त भूमि का मुआवजा भूमि की किस्म बारानी दर से पुनः निर्धारण करने का निवेदन किया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा भी मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। आर्बिट्रेशन के तहत स्वामित्व का निर्धारण किया जाना उचित नहीं है। राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से अवाप्तशुदा भूमि के स्वामित्व का निर्धारण प्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय से करवाया जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा

(पीयूष समारिया)

जिला कलेक्टर, दौसा